पत्रावली पेश ... अन्य राज्य कार्य में ... है अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/3/25 को पेश हो।

24/2/25

28/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रति. नं. 4 की तामील के लिए अवगत करवाया कि प्रति नं. 4 की तामील ... में पेश की जा चुकी है। प्रति नं. 4 बावजूद तामील अनुपस्थित। एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 23/4/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

23/4/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षों की प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी। पत्रावली, मौके की यथास्थिति जवाब प्रार्थना पत्र का आद्योपरान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर दिनांक 9/10/24 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता-फैसला मूलवाद अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। निर्णय पत्रावली में संलग्न हो। पत्रावली दर्ज-रजिस्टर से कम होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Read
9/10/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर।

प्रार्थना-पत्र क्रमांकः 253/2024

हीरालाल पुत्र श्रीया, जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। .....प्रार्थी

बनाम

1. कजोडमल पुत्र जग्गा, जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. लादूराम पुत्र श्रीया, जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्यामलाल पुत्र जग्गा, जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. हनुमान पुत्र जग्गा, जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. प्रेम देवी पुत्री श्रीया पत्नी जगदीश, जाति अहीर, निवासी ग्राम भोज्याडा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
6. उप-पंजीयक सांगानेर प्रथम, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम

श्रीमान जी,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना-पत्र निम्न प्रकार निवेदन है:-

1. यह कि वादी/प्रार्थी ने उपरोक्त उनवानी वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु सुदृढ़ एवं वास्तविक तथ्यों

अं. नि. हीरालाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 253/2024
निर्णय दिनांक: 23.04.2025

उनवान

हिरालाल पुत्र श्रीया, जाति अहिर (यादव), निवासी ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. कजोडमल पुत्र जग्गा, जाति अहिर (यादव), निवासी ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. लादूराम पुत्र श्रीया, जाति अहिर (यादव), निवासी ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्यामलाल पुत्र जग्गा, जाति अहिर (यादव), निवासी ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. हनुमान पुत्र जग्गा, जाति अहिर (यादव), निवासी ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. प्रेमदेवी पुत्र श्रीया पत्नी जगदीश, जाति अहिर (यादव), निवासी ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थना–पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी ने उपरोक्त उनवानी वाद बावत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु सुद्रद्ध एवं वास्तविक तथ्यों के आधार पर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता प्राप्त होने की पूर्ण आशा एवं विश्वास है। ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 111 के खसरा नम्बर 2450 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2451 रकवा 0. 4300 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकवा 0.4900 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार कजोडमल पुत्र जग्गा का 1/6 भाग, मु. गुलाब पत्नी श्रीया का 1/6 भाग, लादूराम पुत्र श्रीया का 1/6 भाग, श्यामलाल पुत्र जग्गा का 1/6 भाग, हनुमान पुत्र जग्गा का 1/6 भाग एवं हीरालाल पुत्र श्रीया का 1/6 भाग है। इसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व जमावन्दी 2074–2077 जमावन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी में अंकित है। यह कि खातेदार मु. गुलाब पत्नी श्रीया मृत्यु हो चुकी है यद्यपि राजस्व रिकॉर्ड में उसका ही नाम अंकित है परन्तु विभाजन के वाद के लिए उसके वारिसान को वतौर प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

एवं अप्रार्थी संख्या 5 के रूप में पक्षकार वाद बनाया गया है। प्रार्थना-पत्र खण्ड 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमि सम्मिलित खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है इसका राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार कोई विभाजन नही हुआ है जिसमें प्रार्थी का 2/9 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 2/9 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 5 का 1/18 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे निहित है। सभी सह खातेदार सहुलियत के हिसाब से सम्मिलित रूप से काबिज रहकर अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। भूमि वादग्रस्त प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है और भूमि वादग्रस्त राजस्व भू-अभिलेखो में सभी सह-कृषको के नाम अंकित संयुक्त कृषि जोत है जिसे सह-कृषको ने आपसी सहमति के अनुसार काश्त करने के उद्देश्य से मौके पर मनबट के आधार पर विभाजित कर रखा है जिसकी वजह से वर्तमान में किसी सह-कृषक के हिस्से में मौके पर कम एवं किसी सह-कृषक के हिस्से में मौके पर ज्यादा भूमि कब्जे में है क्योंकि भूमि वादग्रस्त का विभाजन वास्तव में माप एवं हिस्से अनुसार नही हुआ है अर्थात् भूमि वादग्रस्त का विधिवत् विभाजन वास्तविक नाप, सरस-नरस एवं हिस्सेनुसार नही हुआ है अतः कानूनन समस्त भूमि विवादग्रस्त एक संयुक्त कृषि जोत है जिसको विधिवत विभाजित किये बिना ही अप्रार्थीगण द्वारा भूमि वादग्रस्त में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर मौके पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को यह प्रस्ताव दिया कि वें भूमि वादग्रस्त को तहसीलदार सांगानेर के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमती से विधिवत एवं कानूनन विभाजित करवा लेवें उसके पश्चात् अपने-अपने हिस्से की भूमि को जैसे चाहें वैसे उपयोग-उपभोग में लेवें, इस प्रस्ताव पर अप्रार्थीगण ने संतुष्टिपूर्ण जवाब नही दिया तथा दिनांक 03.10.2024 को अवैध रूप से भूमि वादग्रस्त पर निर्माण करने के उद्देश्य से निर्माण सामग्री डालकर मजदूरो से काम करवाने लगे जिस पर प्रार्थी ने मौके पर जाकर अप्रार्थीगण से उक्त अवैध कृत्य के बारे में जानकारी करनी चाही तो अप्रार्थीगण प्रार्थी से आमादा-फसाद हो गये तथा प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी कि हम तो भूमि वादग्रस्त का कोई विभाजन नहीं करवाना चाहते है और तुम्हारे हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य कर मकान बनायेगें, अप्रार्थीगण द्वारा दी गयी उक्त धमकी एवं आपसी सहमति से विभाजन करवाने से इन्कार करने की वजह से ही प्रार्थी को वादकारण उत्पन्न होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह वाद एवं प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। जब तक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य मीटस् एण्ड बाउण्डस् के आधार पर अपने हिस्से अनुसार विभाजन नहीं हो जाता है तो इस बात की पूर्ण सम्भावना है कि अप्रार्थीगण अपनी इच्छानुसार मूल्यवान भूमि पर काबिज होना चाहेगें परिणामस्वरूप इस बात की भी पूर्ण संम्भावना है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को उनके हिस्से अनुसार सम्मिलित रूप से काश्त करने में ओर जहाँ पर प्रार्थी काश्त कर रहा है वहाँ से उसे जबरन बेदखल कर कब्जाकर लेगें, ऐसी दशा में प्रार्थी के लिए इस आशय की निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है कि जब तक वादग्रस्त भूमि का मीटस् एण्ड बाउण्डस् पर विभाजन होकर अलग खाते न बन जाये तब तक प्रार्थी को सम्मिलित रूप से काश्त करने में अप्रार्थीगण ना तो रूकावट पैदा करे, ना ही कोई बाधा उत्पन्न करे, ना

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ही विशिष्ट भू-भाग पर किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण करे एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत् बनाये रखे। इस कारण प्रार्थी के लिए निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। भूमि वादग्रस्त जो सभी सहखातेदारों की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज है जिसको सह खातेदारों द्वारा बिना विभाजन करवाये ही विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण करने या उसे अन्य को हस्तान्तरित करने का अधिकार प्राप्त नही है किन्तु अप्रार्थीगण इस कोशिश में है कि प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर भूमि पर निर्माण कार्य कर लेवें या उसे अन्य को हस्तान्तरित कर देवें यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नही किया गया और वें अपने नापाक इरादों में सफल हो जायेगें, प्रार्थी के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा एवं प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से किये जाना संभव नही हो सकेगी साथ ही प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। भूमि वादग्रस्त अविभाजित कृषि भूमि है यदि उक्त कृषि भूमि को बिना विभाजन करवाये ही उसके कृषि स्वरूप को बदल देते है या किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण कर लेते है तो प्रार्थी की कृषि योग्य भूमि हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जावेगी तथा कानूनन बंटवारा करवाने से पूर्व ही रहन, बय या हस्तान्तरण कर दिया तो व्यर्थ में मुकदमे बाजी बढ़ेगी इसलिए प्रार्थी का प्रथम दृष्टया वाद है कि वह अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करवावें । सुविधा का संतुलन भी इसी में है कि दावे में अंतिम निर्णय पारित किए जाने तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वह भूमि वादग्रस्त का किसी अन्य को किसी भी प्रकार से रहन, बय एवं मुन्तकिल नहीं करें तथा किसी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण एवं किसी प्रकार रास्ता कायम नही करें आदि ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट या सर्वेन्टस आदि के माध्यम से करवावें।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ता फैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 111 के खसरा नम्बर 2450 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2451 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.4900 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में व उपयोग-उपभोग वाह जोत में किसी प्रकार की मजाहमत न स्वयं करे, न ही अन्य से करावें एवं न ही अन्य दीगर व्यक्ति को रहन, बैचान तथा हस्तान्तरित करें, कोई कच्चा-पक्का निर्माण कार्य नही करे तथा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे इस आशय की तहरीर अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को जारी फरमायी जायें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 5 बावजूद रजिस्टर डॉक सूचना उपस्थित नही। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 5 के विरूद्ध 29.01.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 4 बावजूद रजिस्टर डॉक सूचना उपस्थित नही। अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध 08.03.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये व पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया एवं अंत मे निवेदन किया कि ता फैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 111 के खसरा नम्बर 2450 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2451 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.4900 हैक्टेयर मे अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में व उपयोग-उपभोग बाह जोत में किसी प्रकार की मजाहमत न स्वयं करे, न ही अन्य से करावे एव न ही अन्य दीगर व्यक्ति को रहन, बैचान तथा हस्तान्तरित करें, कोई कच्चा-पक्का निर्माण कार्य नही करे तथा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे इस आशय की तहरीर अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को जारी फरमायी जायें।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय है:- **(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति**

(1) प्रथम दृष्टया मामला–वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 5 रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा कोई खण्डन नही किया गया कि जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार माना है और उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकासमा आज दिनांक तक नही हुआ है इस तथ्य को भी स्वीकार किया है एवं सभी सहखातेदार अपनी सहुलियत के हिसाब से वादग्रस्त सम्पति पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है, इसलिए उक्त विन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं (3)अपूरणीय क्षति–उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू-भाग का विक्रय कर दिया गया तो वादों की बहुलता बढेगी एवं प्रार्थी को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण को होगी।

उक्त तीनों विन्दू प्रार्थी सावित करने में सफल रहा है इसलिए उसके पक्ष में तय किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

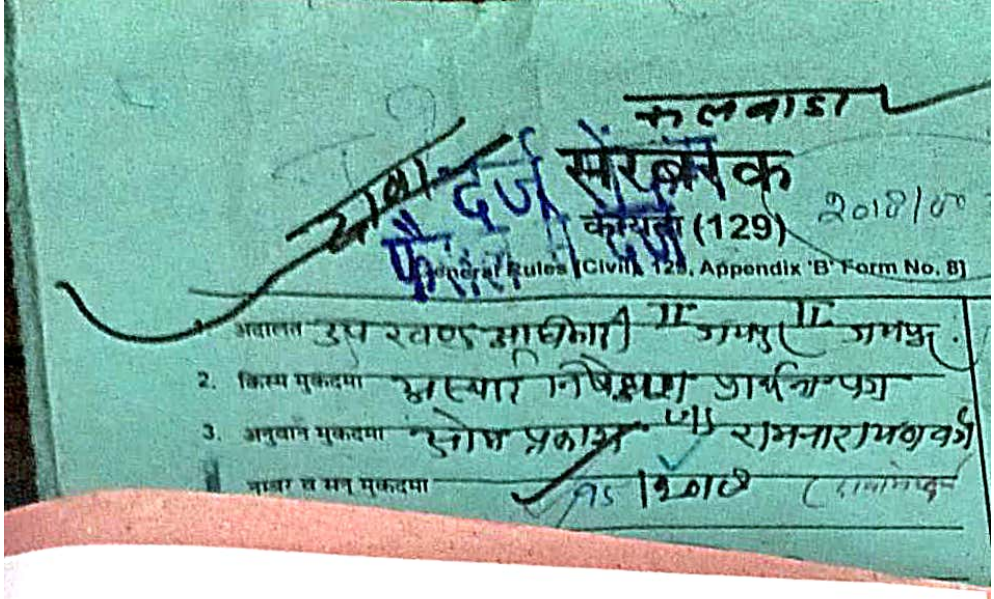

दर्ज संरक्षक

(129)

General Rules (Civil) 129, Appendix 'B' Form No. 8]

1. अदालत

2. किस्म मुकदमा

3. अनुवान मुकदमा

नम्बर व सन मुकदमा

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर (दि)नांक 09.10.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद उभयपक्षों को पावन्द (कि)या जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू-अभिलेख (नि)रिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 111 (के) खसरा नम्बर 2450 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2451 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, कुल (कि)त्ता 2 रकबा 0.4900 हैक्टेयर में प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपसी कब्जे काश्त मे व उपयोग-उपभोग (व)ाह जोत मे किसी प्रकार की मजाहमत न स्वयं करे, न ही अन्य से करावें एव न ही अन्य दीगर (व्)यक्ति को रहन, बैचान तथा हस्तान्तरित करें, कोई कच्चा-पक्का निर्माण कार्य नही करे । वादग्रस्त (भ)ूमि में मौके की यथास्थिति बनाये रखे, पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर